संख्याः क0नि0–5–5065 / 11–2002–500 (82) / 2000 टी0सी

प्रेषक,

ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त, 2002

विषयः– फर्जी स्टाम्पों को बेचने वाले व्यक्ति को स्टाम्प के पीछे अंकित हस्तलिपि की स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर पर हस्तलिपि से मिलान प्रक्रिया सूचित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फर्जी स्टाम्पों के पकड़े जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर एवं भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड की स्टाम्पों के फर्जी होने की रिपोर्ट के बावजूद पक्षकारों पर अभियोग साबित नहीं हो सका। इसका कारण यह बताया गया कि स्टाम्पों के पीछे पृष्ठांकन पर लिखी हस्तलिपि का मिलान स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर तथा अन्य स्टाम्प से नहीं कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि फर्जी स्टाम्प का प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात् स्टाम्पों के पीछे लिखे पृष्ठांकन पर हस्तलिपि एवं स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर पर अंकित हस्तलिपि से मिलान कराया जाय।

3. इस कार्य हेतु व्यक्ति पर सन्देह हो उसी हस्तलिपि का प्रमाण पांच कागजों पर आधे–आधे घंटे के अन्तराल पर इमला बोलकर नमूना ले लें। मूल हस्तलिपि पर मूल लिखें तथ नमूना हस्तलिपि पर नमूना लिखकर एवं नमूना लेने वाल अधिकारी द्वारा अपना हस्ताक्षर दिनांक अंकित करके प्रमाणित लिखकर जांच हेतु भेजा जाय। जांच हेतु प्रति स्टाम्प रू0 100/– लेखाषीर्ष ''0055 पुलिस एवं अन्य प्राप्तियों '' में सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा करना है। मूल चालान की एक प्रति के साथ निदेशक, अपराध विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया जाए।

4. अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर, लखनऊ फोन नम्बर 371232 को निम्न जनपदों से नमूने भेजे जायेगें।

(1) लखनऊ	(2) हरदोई	(3) खीरी
(4) रायबरेली	(5) सीतापुर	(6) उन्नाव
(7) फैजाबाद	(8) सुल्तानपुर	(9) बाराबंकी
(10) अम्बेडकर नगर	(11) गोरखपुर	(12) महराजगंज
(13) देवरिया	(14) कुशीनगर	(15) बस्ती
(16) सिद्धार्थ नगर	(17) संत कबीर नगर	(18) गोण्डा
(19) बहराईच	(20) श्रावस्ती	(21) बलरामपुर
(22) वाराणसी	(23) गाजीपुर	(24) जौनपुर
(25) चन्दौली	(26) मिर्जापुर	(27) सोनभद्र
(28) संत रविदास नगर	(29) आजमगढ़	(30) मऊ
(31) बलिया	(32) इलाहाबाद	(33) फतेहपुर
(34) प्रतापगढ़	(35) कौशाम्बी	(36) कानपुर देहात
(37) कानपुर नगर	(38) इटावा	(39) फर्रूखाबाद
(40) कन्नौज	(41) औरैया	

5. उपरोक्त सूची से इतर जनपदों के हस्तलिपि के नमूने निदेशक, अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, 15 ताज रोड, आगरा फोन नम्बर–226649 को भेजे जायेगें।
6. मूल एवं नमूनों को लिफाफे में सील करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जायेगा। यदि व्यक्तिगत डाक भेजी जाय तो लिफाफे के साथ सील का नमूना भी भेजा जाए।
7. कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– स्टाम्पों के पहचान के चिन्ह।

भवदीय,

ह0 / –अस्पष्ट
(ललित श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः क0नि0–5–5064/11–2002–500 (82)/2000 टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश को पत्र की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, लक्ष्मी काम्पलेक्स, चतुर्थ तल, मण्डी परिषद भवन के सामने, गोमती नगर, लखनऊ।
4. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगषाला, महानगर लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगषाला, 15 ताज रोड, आगरा।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ह0/–अस्पष्ट

(ललित श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

स्टाम्प पेपर

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि जब अनुज्ञा प्राप्त स्आम्प विक्रेताओं से स्टाम्प पेपर क्रय किये जाए तो निम्नलिखित पहचान के कोड/चिन्ह अवश्य सत्यापित कर लिये जायें। सन्देह की स्थिति में विस्तृत परीक्षण हेतु स्टाम्प पेपर भारत मुद्रांक प्रेस, नासिक रोड को संदर्भित किया जा सकता है।

स्टाम्प पेपर	पहचान के कोड/चिन्ह
रू0 100/–, रू0 500/– रू0 1,000/–	इन स्टाम्प पेपर में शीर्ष पर वाटरमार्क में 101 तथा मध्य में अषोक चक्र के साथ देवनागरी लिपि में 'भारत सरकार' तथा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया' आंग्ल भाषा में कर्विकल (वक्राकार) रूप में लिखा होता है।

रू0 750/–	इस स्टाम्प पेपर में शीर्ष पर वाटरमार्क में '809' व मध्य में अशोक चक्र के साथ देवनागरी लिपि में 'भारत सरकार' तथा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया आंग्ल भाषा में कर्विकल (वक्राकार) रूप में लिखा होता है।
रू0 5,000/–	पुराने मुद्रण में इस स्टाम्प के वाटरमार्क में ग्व व अशोक स्तम्भ जिसके नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा रहता है। नये मुद्रण के स्टाम्प पेपर के शीर्ष पर वाटरमार्क में 101 व मध्य में अशोक चक्र के साथ ''भारत सरकार' देवनागरी लिपि मे तथा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया कर्विकल (वक्राकार) रूप में लिखा रहता है।
रू0 10,000/– रू0 15,000/– रू0 20,000/– रू0 25,000/–	इन स्टाम्प पेपर के शीर्ष पर वाटरमार्क में 101 सुरक्षा धागे के साथ लिखा होता है। सभी स्टाम्प पेपर पर क्रम संख्या अंकित होती है।

वास्तविक चिपकाऊ स्टाम्प पेपर का मुद्रण शार्प व बोल्ड होता है। इन पर गोंद की पर्त समान रूप से फेली होती है। जाली व फर्जी स्टाम्प पेपर के मामले में मुद्रण मन्द, अस्पष्ट तथा कभी–कभी अधिक गहरा होता है तथा प्रयुक्त गोंद की मात्रा पर्याप्त नही होती है।

ह0अस्पष्ट
(प्रभास कुमार झा)
आयुक्त स्आम्प/अपर सचिव,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

STAMP PAPARS

In is for general information of all public that while purchasing stamp papers through Licensed stamp paper vendors following Identification codes / marks should be verified, For detail inspection in case of doubt, it can be referred to ervi security press, Nasik road.

Stamp	Identification Code/Mark
Rs. 100 Rs. 500 Rs. 1000	These Stamp Papers have watermark ‘IoI’ on Top and Ashoka Chakra at Centre with “Bharat Sarkar” in Devnagari Script and Goverments of India written in curved manner.
Rs. 750	This stamp paper has water mark “809” on top and Ashok Chakra at the centre with “Bharat Sarkar” in Devnagari Script and Government of India in English written in curved manner.
Rs. 5000	As per old print this stamp paper has watermark “X0X” and Ashok pillar with “satya mev jayate” (In Devnagari Script) below it. As per new print this Stamp paper as water mark 101 on top and Ashok Chakra at the centre with “Bharat Sarkar” in devnageri script and Government of India in English written in ervical manner.
Rs. 10000, Rs.20000	